

झारखण्ड सरकार  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 21.10.2022

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6735 / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6736 / अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री मनीष कुमार, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6737 / अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री अभिजीत सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6738 / अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री ऋतुराज, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6739 / अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री रवि आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6740 / अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री दिनेश कुमार यादव, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6741 / अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री संदीप कुमार मीना, भा.प्र.से. (झा:2019) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें कोडरमा अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6742 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री आशीष अग्रवाल, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मधुपुर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6743 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अनिकेत सचान, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें खूंटी अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

10/14




संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6744 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दीपांकर चौधरी, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें देवघर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6745 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री पीयूष सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धालभूम (जमशेदपुर) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6746 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रवि जैन, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गुमला अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-105/2022 का०- 6747 / पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री रीना हंसदा, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें चक्रधरपुर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(विनोद कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-105/2022 का०- 6747 / राँची, दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।